भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–टिहरी गढवाल, के अन्तर्गत धनसाली धुत्तू मोटर मार्ग कि0मी0 2 व धनसाली–कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 को जोडने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग निर्माण हेतु हेतु **0.245** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/ROAD/14661/2015**

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु टिहरी वन प्रभाग में 0.175 है0 आरक्षित वन भूमि (फलेण्ड़ा कक्ष सं0–5 ए.) एवं 0.07 है0 राजस्व वन भूमि अर्थात कुल 0.245 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **टिहरी गढवाल, के अन्तर्गत धनसाली धुत्तू मोटर मार्ग कि0मी0 2 व धनसाली–कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 को जोडने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु सहित** के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

तिथि : 02/02/2018
स्थान : देहरादून